भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1749

18.12.2023 को उत्तर देने के लिए

प्रति व्यक्ति आय में अंतर

1749. श्री नीरज डांगी:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत तीन वर्षों के दौरान दर्ज की गई प्रति व्यक्ति आय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में भारी अंतर है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और राजस्थान सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क): राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, चालू मूल्यों एवं स्थिर (2011-12) मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के आधार पर मापी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र- वार प्रति व्यक्ति आय क्रमशः अनुबंध-I और अनुबंध-II में दी गई है।

(ख): राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के लिए प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) के संदर्भ में मापी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रति व्यक्ति आय की रेंज नीचे दी गई है:

वर्ष	**प्रचलित मूल्यों पर रेंज**	**स्थिर मूल्यों पर रेंज (2011-12)**
2020-21	रु.42,083 - रु.4,31,351	रु.26,820 - रु.2,98,527

2021-22	रु.47,498 - रु.4,72,070	रु.28,679 - रु.3,10,201
2022-23	रु.54,111 - रु.5,19,964	रु.31,280 - रु.2,71,019

(ग) और (घ): राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में अंतर प्रत्येक राज्य में आर्थिक विकास के विभिन्न स्तर के कारण है। भारत सरकार ने समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया है जैसा कि सबका साथ, सबका विकास की प्रतिबद्धता में दर्शाया गया है और कई लक्षित योजनाएं शुरू की हैं जिनका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना, सामाजिक सुरक्षा, आय सृजन और आजीविका के विकल्प प्रदान करना और देश में आबादी के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। समावेशी विकास के लिए किए गए प्रमुख उपायों में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी का वित्तपोषण; किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से रियायती ऋण; प्रधानमंत्री-किसान के अंतर्गत निधि अंतरण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- भुगतान दावा; सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वामित्व योजना का विस्तार; कृषि ऋण और अवसंरचना निधियों को बढ़ाना; डेयरी सहकारी समितियों के लिए ब्याज सबवेंशन; राज्यों को ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत चलनिधि सहायता; फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एग्री-इंफ्रास्ट्रक्चर फंड; सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के औपचारिककरण के लिए योजना और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आदि शामिल है।

इसके अलावा, सरकार, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन,दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्या योजना,प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,और रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों को मजबूत करने, स्वरोजगार को बढ़ावा देने, ग्रामीण युवाओं के कौशल, सामाजिक सहायता और अन्य बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम इत्यादि का भी कार्यान्वयन कर रही है।

****

अनुबंध ।

'प्रति व्यक्ति आय में असमानता' के संबंध में दिनांक 18.12.2023 के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या.1749 के उत्तर में संदर्भित विवरण

प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद; आधार वर्ष 2011-12.दिनांक 01.08.2023 की स्थिति के अनुसार

प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	1,63,746	1,92,587	2,19,518
2	अरुणाचल प्रदेश	1,81,684	2,05,645	उ.न.
3	असम	90,482	1,02,965	1,18,504
4	बिहार	42,083	47,498	54,111
5	छत्तीसगढ़	1,04,788	1,20,704	1,33,898
6	गोवा	4,31,351	4,72,070	उ.न.
7	गुजरात	2,07,324	2,41,930	उ.न.
8	हरियाणा	2,29,065	2,64,835	2,96,685
9	हिमाचल प्रदेश	1,77,924	2,01,271	2,22,227
10	झारखंड	69,963	84,059	91,874
11	कर्नाटक	2,21,310	2,65,623	3,01,673
12	केरल	1,94,432	2,33,855	उ.न.
13	मध्य प्रदेश	1,03,654	1,21,594	1,40,583
14	महाराष्ट्र	1,83,704	2,15,233	उ.न.
15	मणिपुर	75,784	91,560	उ.न.
16	मेघालय	90,751	1,03,335	1,12,737
17	मिजोरम	1,73,521	1,98,962	उ.न.
18	नागालैंड	1,19,781	1,25,887	उ.न.
19	ओडिशा	1,03,203	1,28,181	1,49,902
20	पंजाब	1,50,620	1,68,705	1,81,716
21	राजस्थान	1,15,122	1,35,962	1,56,149
22	सिक्किम	4,15,045	4,63,509	5,19,964
23	तमिलनाडु	2,09,628	2,42,253	2,75,583
24	तेलंगाना	2,25,663	2,70,839	3,12,398
25	त्रिपुरा	1,18,401	1,37,472	1,59,419
26	उत्तर प्रदेश	61,434	73,048	83,565
27	उत्तराखंड	1,84,002	2,11,657	2,33,565
28	पश्चिम बंगाल	1,06,510	1,24,798	1,41,373
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,05,368	2,29,080	उ.न.
30	चंडीगढ़	2,90,671	3,33,932	उ.न.
31	दिल्ली	3,31,112	3,89,529	4,44,768
32	जम्मू और कश्मीर-सं रा. क्षे	1,01,540	1,20,790	1,36,771
33	पुदुचेरी	2,08,453	2,51,344	उ.न.

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

उपर्युक्त सूचना लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के संबंध में संकलित नहीं की गई है ।लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अभी तक अनुमान संकलित नहीं किए हैं ।

उ.न.: उपलब्ध नहीं ।

अनुबंध II

'प्रति व्यक्ति आय में असमानता' के संबंध में दिनांक 18.12.2023 के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या. 1749 के उत्तर में संदर्भित विवरण

स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद; आधार वर्ष 2011-12.दिनांक 01.08.2023 की स्थिति के अनुसार

स्थिर मूल्यों (2011-12) पर प्रति व्यक्ति एनएसडीपी (रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23
1	आंध्र प्रदेश	1,05,880	1,17,464	1,23,526
2	अरुणाचल प्रदेश	1,06,002	1,11,776	उ.न.
3	असम	61,304	65,726	69,826
4	बिहार	26,820	28,679	31,280
5	छत्तीसगढ़	73,259	78,377	83,511
6	गोवा	2,98,527	3,10,201	उ.न.
7	गुजरात	1,56,285	1,70,384	उ.न.
8	हरियाणा	1,55,756	1,72,657	1,81,961
9	हिमाचल प्रदेश	1,34,111	1,43,639	1,52,376
10	जम्मू और कश्मीर*	51,464	56,559	60,033
11	झारखंड	1,49,030	1,64,471	1,76,383
12	कर्नाटक	1,32,531	1,48,810	उ.न.
13	केरल	56,320	61,534	65,023
14	मध्य प्रदेश	1,27,970	1,38,490	उ.न.
15	महाराष्ट्र	44,449	49,602	उ.न.
16	मणिपुर	60,522	63,295	65,114
17	मेघालय	1,16,229	1,29,785	उ.न.
18	मिजोरम	68,272	70,020	उ.न.
19	नगालैंड	73,357	81,178	87,361
20	ओडिशा	1,13,025	1,18,227	1,23,614
21	पंजाब	73,140	80,545	86,134
22	राजस्थान	2,37,212	2,46,526	2,59,938
23	सिक्किम	1,43,482	1,54,557	1,66,727
24	तमिलनाडु	1,40,703	1,58,202	1,69,006
25	तेलंगाना	79,123	85,210	91,853
26	त्रिपुरा	39,735	43,420	47,066
27	उत्तर प्रदेश	1,37,987	1,49,015	1,58,245
28	उत्तराखंड	63,562	69,890	75,561
29	पश्चिम बंगाल	1,46,995	1,63,138	उ.न.
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,09,368	2,19,778	उ.न.
31	चंडीगढ़	2,34,569	2,52,024	2,71,019
32	दिल्ली	65,444	72,574	77,891
33	जम्मू और कश्मीर-सं रा. क्षे	1,35,586	1,55,246	उ.न.

स्रोत: संबंधित राज्य सरकारों केअर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

उपर्युक्त सूचना लक्षद्वीप, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली के संबंध में संकलित नहीं की गई है।लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अभी तक अनुमान संकलित नहीं किए हैं ।

उ.न.: उपलब्ध नहीं ।